विद्युत दर्पण

पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति
गृह पत्रिका
अंक - 21 **हिन्दी दिवस विशेषांक** **जुलाई - सितम्बर 2011**

सम्पादकीय

समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह कृषि हो, उद्योग, परिवहन, व्यापार या घर सभी जगह ऊर्जा की आवश्यकता होती है । जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं और मांग निरंतर बढ़ रही है । ऐसे में ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण करने के साथ ही ऊर्जा की बचत भी करनी होगी । संसाधन फिर चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित उनका उपयोग जिम्मेदारी से ही करना होगा और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपने आपको अनुशासित रखें तथा इमानदार रहें ।

आचार्य चाणक्य जी जो राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के अद्वितीय विद्वान रहें जिनकी किर्ती सम्पूर्ण विश्व में फैली थी, उनके बारे में इतना कुछ सुनकर और अधिक जानने की इच्छा से एक बार चीन देश से एक विद्वान मंत्री उनसे मिलने आया । उस समय चाणक्य जी अपने घर में दिया जलाकर कुछ लिख रहे थे । उन्होंने आगन्तुक को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा । अपना काम खत्म होते ही उन्होंने जलता दिया बुझाया और दूसरा दिया जलाया । उसके बाद वे आगन्तुक से बातें करने लगे । इस पर आगन्तुक ने कौतुहलवश चाणक्य जी से पूछा कि आपने पहला दिया क्यों बुझाया ? तब चाणक्य जी ने कहा कि तब मैं राज्य का काम कर रहा था और उस दिये के लिए राज्य से तेल दिया जाता है । अब मैं अपना वैयक्तिक काम कर रहा हूँ इसलिए उस तेल का उपयोग करना उचित नहीं समझता ।

इस प्रकार की जिम्मेदारी एवं ईमानदारी का अहसास अपने कार्य में रखकर हम देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं ।

(मनजीत सिंघ)
सदस्य सचिव

कबीर वाणी

क ल करे सो आज कर आज करे सो अब ।
पल में प्रलय होयेगी, बहुरी करोगे कब ।।

****

राजभाषा समाचार

- कार्यालय में हिन्दी पखवाड़ा 2011 दिनांक 12 सितम्बर 2011 से 26 सितम्बर 2011 तक मनाया गया । इस उपलक्ष्य में कुल 13 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । दिनांक 14 सितम्बर 2011 को हिन्दी दिवस मनाया गया । इस अवसर पर प्रश्न मंच का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यालय के अधिकतर अधिकारियों / कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया ।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95 वीं बैठक दिनांक 27 जुलाई 2011 को श्री मनजीत सिंघ, सदस्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई तथा हिन्दी दिवस / पखवाड़ा 2011 के आयोजन हेतु रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 5 अगस्त 2011 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उत्तर मुंबई की ग्यारहवी बैंठक दिनांक 9 अगस्त 2011 को सम्पन्न हुई जिसमें श्री मनजीत सिंघ, सदस्य सचिव एवं श्रीमती तरूप्रभा शैल, हिन्दी अधिकारी ने सक्रिय भाग लिया ।
- दिनांक 26 सितम्बर 2011 को आयोजित हिन्दी कार्यशाला में 'आयकर: नया टैक्स कोड विषय पर श्री ओम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता ने व्याख्यान दिया । जिसमें कार्यालय के 5 अधिकारी 10 कर्मचारियों ने भाग लिया ।
- वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यालय में कुल 05 प्रोत्साहन योजनाएं आयोजित की गई थी :-

  <u>राजभाषा विभाग के निदेशानुसार</u>
  1. हिन्दी में मूल टिप्पण आलेखन प्रोत्साहन योजना
  2. हिन्दी में मूल टिप्पण आलेखन लघु प्रोत्साहन योजना

  <u>कार्यालय स्तर पर तैयार की गई</u>
  1. तकनीकी लेख (विद्युत दर्पण में प्रकाशित प्रोत्साहन योजना
  2. कम्प्यूटर पर हिन्दी कार्य हेतु प्रोत्साहन योजना
  3. हिन्दी श्रुतलेख - प्रोत्साहन योजना

  इन प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत कुल 21 विजेता अधिकारी / कर्मचारियों को दिनांक 03.08.2011 को पुरस्कृत किया गया ।

****

हिन्दी पखवाड़ा एवं हिन्दी दिवस 2011 की रिपोर्ट

पक्षेविसमिति, मुंबई में दिनांक 12 सितम्बर 2011 से 26 सितम्बर 2011 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया । कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने की दृष्टि से हिन्दी पखवाड़े के दौरान कुल 13 प्रतियोगिताएँ एवं एक हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई थीं ।

हिन्दी पखवाड़े के उपलक्ष्य में कार्यालय में आयोजित की गयी विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गयी थी कि इनमें सभी श्रेणी के अधिकारी / कर्मचारी जैसे कि तकनीकी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारी भी भाग ले सकें और हिन्दी में सोचना, लिखना , कला प्रस्तुत करना आदि गुणों को प्रोत्साहन मिले।

हिन्दी पखवाड़े के दौरान निम्नानुसार प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:

1 हिन्दी निबंध (क, ख वर्ग)
2 हिन्दी निबंध (ग वर्ग)
3 कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण
4 हिन्दी निबंध (क, ख एवं ग वर्ग सभी के लिए एक विषय)
5 भाषण (क, ख वर्ग)
6 भाषण (ग वर्ग)
7 हिन्दी श्रुतलेख (हिन्दीतर भाषियों के लिए)
8 हिन्दी दिवस समारोह अंताक्षरी / प्रश्न मंच
9 हिन्दी वाचन (हिन्दीतर भाषियों के लिए)
10 हिन्दी टिप्पण आलेखन
11 हिन्दी वाचन-लेखन(तत्कालीन चतुर्थ श्रेणी कर्म.)
12 घोष वाक्य / स्लोगन
13 हिन्दी शब्द पहेली

दिनांक 14 सितम्बर 2011 को कार्यालय में हिन्दी दिवस मनाया गया । इस अवसर पर प्रश्न मंच का आयोजन किया गया । जिसमें कार्यालय के अधिकांश अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

हिन्दी पखवाड़ा 2011 के उपलक्ष में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में कार्यालय के कुल 32 अधिकारी / कर्मचारियों में से 24 कार्मिकों ने भाग लिया । इनमें से अधिकतर अधिकारियों / कर्मचारियों ने एक से अधिक प्रतियोगिता में भाग लिया । इस प्रकार 13 प्रतियोगिताओं में कुल 131 प्रतियोगियों ने भाग लिया (विजेताओं की सूची संलग्न है) । अन्य अधिकारियों ने कुछ प्रतियोगिताओं में निर्णायक का कार्य किया । हिन्दी दिवस समारोह एवं समापन समारोह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अधिकाधिक अधिकारियों / कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । इस प्रकार हिन्दी पखवाड़े के आयोजन में सम्पूर्ण कार्यालय का सहभाग रहा ।

हिन्दी पखवाड़े का पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह दिनांक 10 अक्तूबर 2011 को कार्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया । इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने गीत, कविताएँ, चुटकुले आदि प्रस्तुत किए । तत्पश्चात श्री मनजीत सिंघ, सदस्य सचिव के कर कमलों से विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किये गए । इस पुरस्कार वितरण समारोह में हिन्दी प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों के साथ ही वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यालय में लागू 5 प्रोत्साहन योजनाओं के विजेताओं को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए । तत्पश्चात सदस्य सचिव महोदय ने अपने संबोधन में सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि हिन्दी पखवाड़े के कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर संपूर्ण वर्ष में सभी अधिकारी / कर्मचारी अपने हिन्दी कार्य को बढ़ावा दें । कार्यक्रम का मंच संचालन सुश्री तरूप्रभा शैल, हिन्दी अधिकारी ने सुरूचिपूर्ण ढंग से किया । श्री एम.एम.धकाते, राजभाषा अधिकारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ ।

****

हिन्दी पखवाड़ा एवं हिन्दी दिवस 2011 की प्रतियोगिताएँ एवं विजेताओं की सूची

हिन्दी भाषण प्रतियोगिता (क, ख वर्ग)

1. प्रथम पुरस्कार-श्री ओम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता
2. द्वितीय पुरस्कार- श्री दयानन्द सिंह, कार्यपालक अभियंता
3. तृतीय पुरस्कार-श्री शेष कुमार सावंत, उच्च श्रेणी लिपिक

हिन्दी भाषण प्रतियोगिता (ग वर्ग)

1. प्रथम पुरस्कार -श्री सत्यनारायण एस., अधीक्षण अभियंता
2. द्वितीय पुरस्कार-श्री सुकुमार हानरा, सहा. निदे. श्रेणी-II

हिन्दी शब्द पहेली प्रतियोगिता

1. प्रथम पुरस्कार- श्री ओम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता
2. द्वितीय पुरस्कार-श्रीमती आरती देशमुख, अ. श्रे. लिपिक
3. तृतीय पुरस्कार - श्रीमती अदिति पालकर, अ. श्रे. लिपिक

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता

1. प्रथम पुरस्कार-श्रीमती अदिति पालकर, अवर श्रेणी लिपिक
2. द्वितीय पुरस्कार-श्री एम.एम. धकाते, कार्यपालक अभियंता
3. तृतीय पुरस्कार-श्रीमती ऋता राणे, उच्च श्रेणी लिपिक

हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिता

1. प्रथम पुरस्कार-श्रीमती सुमेधा राजाध्यक्ष, अ. श्रे. लिपिक
2. द्वितीय पुरस्कार-श्रीमती आरती देशमुख, अ. श्रे. लिपिक
3. द्वितीय पुरस्कार-श्रीमती अदिति पालकर, अ. श्रे. लिपिक
4. तृतीय पुरस्कार-श्रीमती छाया सागरे, अवर श्रेणी लिपिक

हिन्दी निबंध प्रतियोगिता (क, ख वर्ग)

1. प्रथम पुरस्कार-श्री ओम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता
2. द्वितीय पुरस्कार-श्री एम.एम.धकाते, कार्यपालक अभियंता
3. तृतीय पुरस्कार-श्री शिव कुमार हरिद्वाज, आशुलिपिक

हिन्दी निबंध प्रतियोगिता (ग वर्ग)

1. प्रथम पुरस्कार-श्रीमती शोभना पण्णिकर, आशुलिपिक श्रे.-I
2. द्वितीय पुरस्कार-श्रीमती नंदिनी उन्नीकृष्णन, अ. श्रे.लि.
3. द्वितीय पुरस्कार-श्री सुकुमार हानरा, सहा. निदे. श्रेणी-II

हिन्दी निबंध प्रतियोगिता (सभी के लिए एक विषय)

1. प्रथम पुरस्कार-श्री एम.एम.धकाते, कार्यपालक अभियंता
2. द्वितीय पुरस्कार-श्री ओम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता

3. तृतीय पुरस्कार-श्रीमती आरती देशमुख, अ. श्रे. लिपिक
4. तृतीय पुरस्कार- श्री शिव कुमार हरिद्वाज, आशुलिपिक

हिन्दी वाचन प्रतियोगिता

1. प्रथम पुरस्कार-श्रीमती शोभना पण्णिकर, आशुलिपिक श्रे.-I
2. द्वितीय पुरस्कार-श्रीमती छाया सागरे, अवर श्रेणी लिपिक
3. तृतीय पुरस्कार-श्रीमती सुमेधा राजाध्यक्ष, अ. श्रे. लिपिक

हिन्दी वाचन, लेखन प्रतियोगिता (तत्कालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए)

1. प्रथम पुरस्कार- श्री आर.एन.भोरकडे
2. द्वितीय पुरस्कार- श्री मोहन सावंत
3. तृतीय पुरस्कार-श्रीमती हेमलता सावंत

हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता

1. प्रथम पुरस्कार- श्रीमती सुमेधा राजाध्यक्ष, अ. श्रे. लिपिक
2. द्वितीय पुरस्कार-श्री एम.एम.धकाते, कार्यपालक अभियंता
3. द्वितीय पुरस्कार- श्री शिव कुमार हरिद्वाज, आशुलिपिक
4. तृतीय पुरस्कार-श्री दया नन्द सिंह, कार्यपालक अभियंता

हिन्दी घोष वाक्य / स्लोगन प्रतियोगिता

1. प्रथम पुरस्कार-श्रीमती आरती देशमुख, अवर श्रेणी लिपिक
2. प्रथम पुरस्कार-श्री शेष कुमार सावंत, उच्च श्रेणी लिपिक
3. द्वितीय पुरस्कार-श्रीमती छाया सागरे, अवर श्रेणी लिपिक
4. तृतीय पुरस्कार-श्रीमती सुमेधा राजाध्यक्ष, अ. श्रे. लिपिक
5. तृतीय पुरस्कार-श्रीमती सुनंदा गायकवाड, चपरासी

****

दया मृत्यु

ओम प्रकाश सिंह,
अधीक्षण अभियंता

मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसे प्राय: लोग पसंद नहीं करते । मृत्यु में जहाँ एक ओर छिपा है विछोह का दर्द, वहीं दूसरी ओर मृत्यु में छुपी है पीड़ा से मुक्ति की आशा ।

मृत्यु के कारण के अनुसार, मृत्यु के प्रकार परिभाषित किये गये हैं:-

1. स्वाभाविक मृत्यु : जो बीमारी आदि में होती है ।
2. आत्म हत्या: जिसे जीव स्वयं वरण करता है ।
3. हत्या: किसी के द्वारा मार दिया जाना।
4. दयामृत्यु: अपनी या पारिवारिक जनों की सहमति से गंभीर बीमारी की स्थिति में चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली मृत्यु का वरण ।

दयामृत्यु को कानूनी जामा पहनाने की चर्चा काफी देशों में चल रही है । वर्ष 1995 आस्ट्रेलिया के उत्तरी राज्य ने इसे पहली बार कानूनी रूप से पहचान दी । विश्व के कई परन्तु कतिपय देशों में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है । उदाहरण के तौर पर आस्ट्रेलिया के उत्तरी राज्य, स्वीटजरलैंड, नीदरलैंड, अमरीका के कुछ राज्य आदि ।

भारतीय परिवेश में देखें जहाँ जीवेम शरद: शतम की लालसा और आशीर्वाद सदा ही सफलीभूत है तो यहाँ के परिवेश में इच्छा / दयामृत्यु पर क्या कानून की स्थिति है पहले इस पर विचार करते हैं ।

निकट अतीत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्टॉफ नर्स अरूणा शानबाग की दया मृत्यु के प्रकरण में जो उनकी सहेली पिंकी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक अपील में दी, यद्यपि अरूणा शानबाग को दयामृत्यु की इजाजत नहीं दी, पर कतिपय कारणों से आवश्यक होने पर राज्य के उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अनुमोदन होने पर दयामृत्यु स्वीकार करने की बात स्वीकार की ।

इस बात पर अपना फैसला देते समय माननीय न्यायालय ने एक्टिव (active) और पेसिव (passive) यूथेनेज़िया को परिभाषित करते हुए कहा कि अगर कोई पीड़ा से लगातार निजात नहीं पा रहा और उसे (Life support system) जीवन रक्षक उपकरणों के सहारे जिन्दा रखा गया है या जा रहा है और उसकी दिमागी तौर पर मृत्यु हो गई हो तो परिभाषित प्रक्रिया अपनाकर इस तरह के मरीज से जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने की अनुमति दी जा सकती है । परन्तु एक्टिव यूथेनेज़िया जिसमें मरीज को बेहोशी की दवा अधिक मात्रा में देकर मारा जाता है कि इजाजत नहीं दी ।

इसका एक कारण यह भी है कि हमारे समाज में नियमों की अवहेलना करना या उनको अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करने की मानसिकता काफी बलवती है । इस तरह की छूट देने से हो सकता है समाज के कुछ लोग संपत्ति के लिये या इलाज के लिए पैसे न होने की स्थिति में हत्या को दयामृत्यु का जामा पहनाने लगे । पर यह तो सत्य है कि जब किसी की दिमागी तौर पर मृत्यु हो चुकी हो तो उसे दयामृत्यु देने का प्रावधान होना चाहिए और माननीय न्यायालय ने ऐसा ही किया है ।

हर चीज के दो पहलू हैं और दयामृत्यु के भी । हमारे ही देश के बैंगलोर स्थित चिकित्सकों का कहना है कि उन्हें जीवन बचाने की शिक्षा दी गयी है जीवन रक्षक प्रणाली हटाकर मरीज को मरने की नहीं । कुछ विद्वानों ने भारतीय संविधान की धारा 21 का उल्लेख करते हुए यह तर्क भी दिया है कि जब हमें जीने का अधिकार है तो मरने का भी होना चाहिए और उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 को (जो आत्महत्या को जुर्म मानती है) निरस्त करने की भी मांग की ।

थोड़ा हटकर देखें तो मालूम पड़ता है कि विषय कानून के साथ-साथ भावनाओं से भी जुड़ा है, कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें आदमी 10 वर्ष बाद कोमा से वापस आ गया, ऐसी स्थिति में क्या हमारा मन अपरिभाषित विछोह को तैयार होगा । कहते हैं कि सांस' है तो आस है और मानव मन कभी भी 'आस' को टूटने नहीं दे पाता ।

यद्यपि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाऐंगे कि भीष्म पितामह महाभारत में बाणों की शैय्या पर पड़े रहे पर सूर्य उत्तरायण में आने पर शरीर छोड़ा । रामायण पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि सीता माता धरती में समा गयी जबकि राम और लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधी ले ली ।

फिर भी हम आज की सामाजिक मानसिकता के बीच दयामृत्यु को कानूनी जामा नहीं पहनाना चाहते । पीड़ा तो पीड़ा ही है परन्तु कोई भी पीड़ा मृत्यु से उपजे विछोह की पीड़ा से अधिक नहीं । अत: दयामृत्यु की वकालत न करते हुए जीवेम शरद: शतम् की कामना करते हैं ।

****

कर्ज पर ब्याज की बढ़ती दरें

मोरेश्वर धकाते
कार्यपालक अभियंता

बैंकों एवं बाकी वाणिज्यिक संदायों द्वारा कर्ज उपलब्ध कराये जाने की वजह से मध्यम वर्ग की घर, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि होने / खरीदने की समस्या आसान हो गई है । पहले तो मध्यम वर्ग का आदमी खासकर जो किसी भी तरह की नौकरीपेशा है एवं हर महीने समान वेतन लेता हो; मकान लेने के बारे में 50 वर्ष की आयु तक तो सोच भी नहीं पाता था । नौकरी के 20-25 साल पूर्ण करने पर अगर सोच भी लेता तब अपने बेटे-बेटी की शादी का खर्चा देखकर दो कदम पीछे चला जाता । कर्ज सरकारी दफ्तरों एवं अन्य नियोक्ता दफ्तर के माध्यम से उस वक्त भी सस्ते ब्याज पर मिलता था लेकिन वेटिंग लिस्ट काफी रहती थी और रक्कम जो मिलती भी थी वह आवश्यकता से काफी कम मिलती थी । पिछले कुछ 10-15 वर्षों से बैकों द्वारा कर्ज देने पर पाबंदी उठ गई है । इसी वजह से आज आम आदमी के पास भी हमें टी.वी. रेफ्रिजरेटर, गाड़ी, मकान देखने को मिल जाता है । हालांकि, कर्ज की रकम वापस तो ब्याज के साथ करनी ही पड़ती है लेकिन अगर कर्ज ज्यादा वर्ष के अंतराल के लिए लिया गया है तब इसकी किश्त कम होती है एवं हर महीने यह किश्त कटावने से हमारा रोजमर्रा का खर्चा चल सकता है । इस वजह से साधारण मनुष्य की जीवन शैली काफी अच्छी हो गयी है ।

ज्यादातर कर्ज मकान, जमीन, गाड़ी एवं वस्तुएं खरीदने के लिए लिए जाते हैं । यह कर्ज की रकम भी काफी ज्यादा लाख में होती है । कर्ज की ब्याज दरें भी कर्ज किस प्रकार का है एवं किस चीज के लिए लिया जा रहा है इस पर निर्भर रहता है । जैसे मकान फ्लैट लेने के लिए हाऊसिंग लोन की दरें गाड़ी खरीदने के लिए ब्याज दरों से 2-3 प्रतिशत कम होता है । ब्याज की दरें भी अलग-अलग प्रकार की होती हैं । सरकारी दफ्तरों से मिलने वाला ब्याज साधारण ब्याज होता है जबकि यही कर्ज अगर बैंकों से लिया जाए तब फ्लैट दरें होती हैं जो कि काफी महंगी पड़ती हैं उदाहरण के तौर पर अगर दफ्तर से 10% ब्याज और बैंकों से 10% फ्लैट रेट पर ब्याज समान नहीं है। बैंकों से लिया जाने वाला कर्ज काफी महंगा पड़ता है।

वर्ष 2002-2003 के दौरान बैंकों द्वारा 7-8 प्रतिशत की दर पर कर्ज दिया जाता था । यह सरकार की दखलांदाजी की वजह से हुआ था । सरकार चाहती थी कि आम आदमी भी अपना-अपना घर बना सके या बना-बनाया फ्लैट खरीद सके । इस वजह से कर्ज लेने - वालों की संख्या बढ गई, इसीके साथ ज्यादा से ज्यादा बैंकों ने सस्ते ब्याज पर कर्ज देना चालू कर दिया । रीयल इस्टेट का व्यवसाय तेजी में आ गया । ब्याज की दरें इतनी कम हो गई थी कि मध्यम वर्ग के बाद अल्प वर्ग के आदमी ने भी लोन के लिए प्रयास शुरू किया और अपना-अपना छोटा-सा मकान खरीदने की होड़ में शामिल हो गये । यह रीयल इस्टेट का व्यवसाय निरंतर बढता गया, ज्यादा से ज्यादा बिल्डर रीयल इस्टेट के व्यवसाय में आ गये । कुछ लोगों को तो अपनी ही जमीन पर फ्लैट बनाकर बेचने के लिए निकाल दिए । सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ अच्छे से चल रहा तब परेशानी क्या थी कि लोगों का कर्ज लेने पर उनका टेंशन बढ़ने लगा । कर्ज देने की शर्तो को पढ़ा गया तब पता चला कि ब्याज की दरें फ्लोटिंग दरें थीं जो कि रिजर्व बैंक ने दिए गए निर्देशानुसार कम ज्यादा होनी थी । रिजर्व बैंक महंगाई कम करने के लिए रेपो रेट कम ज्यादा करती है जो कि सभी बैंकों को मान्य करनी पड़ती है । कर्ज देने की शर्तों के अनुसार रेपो रेट कम ज्यादा होने पर कर्ज की दरें भी कम ज्यादा होती थी । वर्ष 2005-06 में यह दरें करीब 11-12 प्रतिशत हो गई थी । जिन्होंने भी कर्ज लिया उनकी किश्त अभी डेढ़ गुना बढ़ गई थी या तो कर्ज की अवधि बढ़ाई गई थी । यह भी देखा गया कि आरबीआई द्वारा दरें कम करने पर भी ब्याज की बढी हुई दरें कम नहीं की गईं । नये ग्राहक को अब कम दरों पर ब्याज मिल रहा था जबकि पुराने ग्राहक बढ़ी हुई दरों पर किश्त देना शुरू था । इसी की वजह से लोन स्विच करना, प्रीपेमेंट करना एवं अन्य तरह के नुस्खे सामने आए । कंगाली से बचने के लिए एवं गाड़ी, मकान आदि को बचाने के लिए लोगों ने ये नुस्खे अपनाने शुरू किए । बैंकों ने फिर प्रीपेमेंट एवं स्विच पर अधिभार लगाना शुरू किया । जिन लोगों ने 2002 के आसपास अपने-अपने दफ्तरों से कर्ज लिया उन्हें इन चीजों से कोई नुकसान नहीं हुआ । उनकी जो किश्त उस वक्त बनाई गई वही अब भी चालू है क्योंकि यह एक प्रकार का फीक्स रेट है ।

हाल ही में बैंकों ने फ्लोटिंग एवं फिक्स लोन रेट के साथ-साथ दोनों रेट का मिलाकर फ्लोटिंग लोन स्कीम शुरू की जिसमें पहले कुछ सालों तक ब्याज की दरें समान रहती है एवं इसके बाद फ्लोटिंग ब्याज दर शुरू हो जाता है । जिन लोगों ने कर्ज लेकर बढती हुई ब्याज दरों से तंग आकर गलती से अपना सब-कुछ गंवा दिया वे ही कुछ लोग चुपचाप रहकर तमाशा देखते रहे । कुछ लोगों ने एन.जी.ओ. के साथ मिलकर ब्याज की दरें कम करने का प्रयास भी किया एवं कुछ लोगों ने नए लोगों को कर्ज लेते वक्त क्या सावधानी बरतें यह शिक्षा दिलाई । रोजाना वर्तमान पत्रों में हम इस तरह के आर्टिकल पढते हैं । हालांकि कर्ज की दरों पर बैंकों का कोई नियंत्रण नहीं है तब भी लोग बैंकों को दोषी मानते हैं क्योंकि कर्ज लेते वक्त बैंकों ने ग्राहक को यह सारी चीजें नहीं बताई । आज के दौर में ब्याज दरें बढ़ी हुई होने के कारण एवं रीयल इस्टेट में बढ़ी हुई दरों के कारण लोग भी मकान लेनेके लिए कतरा रहे हैं एवं इस बात की सजा बैंकों के बिजनेस के साथ-साथ रीयल इस्टेट पर हो रहा है । रीयल स्टेट का अपना एक बैलेन्स है जो कि ग्राहक न होने पर अपने आप लुढ़क जाता है । महंगाई कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने जो दरें बढ़ाई वह कदम गलत नहीं करार दिया ज सकता लेकिन रिजर्व बैंक को चाहिए कि महंगाई का असर पुराने कर्ज ग्राहकों को न हो और महंगाई काबू में लाने हेतु कोई और उपाए सुझाये ।

अभी तो लोन स्विचिंग पर भी कुछ बैंकों ने अधिभार कम कर दिया है । इसी वजह से अगर किसी बैंक का कर्जा आप पर बोझ बन गया है तब आप वही लोन दूसरी बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं । इसके लिए दूसरी बैंक आपको पूरी तरह सहायता प्रदान करती है । बैंकों के बीच प्रतियोगिता बढ़ गई है, इसलिए सभी बैंक अपनी-अपनी ब्याज की दरें कम से कम रखकर अपना बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान दे रही है । काफी बैंकों ने तो एजेंट के द्वारा भी बिजनेस बढ़ाना शुरू किया है ।

अंत में ब्याज की बढ़ी हुई दरें सबको परेशान तो कर ही रही लेकिन इससे बैंकों को कोसने से कुछ फायदा नहीं होगा । बैंक भी अपने-अपने दायरे में सीमाबद्ध है । यह काम तो सरकार की पहल एवं दखल अंदाजी से ही पूरा हो सकता है ।

****